राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 92275 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में निर्माण कार्यों अर्द्वकुशल श्रमिकों के नियोजन बाबत्।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं (महात्मॉ गांधी नरेगा को छोडकर) के लिए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदुरी की दरें समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा पुनरीक्षित की जाती है। महात्मा गांधी योजना के लिए अकुशल श्रमिक की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किया जाता है। एवं मेट (अर्द्धकुशल श्रमिक) की दर का निर्धारण महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा बिन्दु संख्या 8.3.1 के अनुसार "विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित दर विश्लेषण के आईटमस् के लिए जिले में स्थानीय सामग्री की उपलब्धता एवं सामग्री/श्रम दरों के आधार पर जिले की दर अनुसूची का अनुमोदन करना" निर्धारित है।

विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यों हेतु गुणवत्ता के परिपेक्ष्य में अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन की आवश्यकता के कम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को छोडकर शेष सभी विभागीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन किया जा सकेगा। इस कम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार गठित जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा बिन्दु संख्या 8.3.1 के कम में अर्द्धकुशल श्रमिकों की प्रचलित दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की तत्समय प्रभावी अर्द्धकुशल श्रमिकों की दर (वर्तमान में 300 रू. प्रतिदिन) की अधिकतम सीमा के तक निर्धारित कर सकेंगी, लेकिन अकुशल श्रमिकों की प्रचलित दर के स्थान पर नियोजित अर्द्धकुशल श्रमिकों की अनुमोदित दरों के समानुपात में अर्द्धकुशल श्रमिकों का टास्क निर्धारित किया जाता है अर्थात् सम्पादित कराये जाने वाले कार्य/आईटम की अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन से लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को छोडकर शेष सभी विभागीय योजनाओं के लिए कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन बाबत् सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रभावी अधिकतम दर 300 रू. तक की सीमा में अर्द्धकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली दर एवं उक्तानुसार समानुपातिक टास्क का जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कराकर लागू किया जावें।

13.4.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि